


1.02.2023


पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांकित 21.10.2021 स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 को राजीनामा दिनांकित 21.10.2021 के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 21.10.2021 को डिक्री का भाग समझा जावे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.02.2013 को राष्ट्रीय लोक अदालत मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।


21/02/23
 राजीनामा
 21/02/23
 राजीनामा
 राजीनामा


 (सदस्य)
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 वादवादी संख्या 1
 प्रिमेंवाला
 राष्ट्रीय लोक अदालत


 (अध्यक्ष)
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 बेंच नम्बर - 03

4/2/23

अपिपत्रा वादी शाय स्टाम्प शुल्क उद्युत करने पर पत्रावली करी मे ली गई। निर्दिष्टित 11/2/23 की पत्रावली मे स्टाम्प शुल्क उद्युत होने पर पर्चा उन्ही जारी की जाती है। पत्रावली नष्टीकृत है। पत्रावली वादवादी पंजिका के क्रम से क्रम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।


 पुर्निकर उतीक चन्द्रशेखर
 (उपनिष्ठ I.A.S.)
 सहायक कलक्टर एव
 कार्यापालक दण्डनायक
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी - श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, प्रशिक्षु आई.ए.एस

वादपत्र संख्या 145/2021
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. संजय कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी रोहिडावाली सुथारान तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजीव कुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी रोहिडावाली सुथारान तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

-वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई आयु करीब 60 वर्ष निवासी रोहिडावाली सुथारान तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. शकीला पुत्री रामकुमार पत्नी राधेश्याम जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर
4. मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कोनी जरिये शाखा प्रबंधक


-प्रतिवादीगण

वादीगण और प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण, प्रतिवादीगण एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिए दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक न्यायालय में पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा दिनांक 21.10.2021 को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।


खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर,
सहायक प्रशिक्षु आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मण्डलीयक,
श्रीगंगानगर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	0	5. आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		
जोड़	0	जोड़	0


जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर,
सहायक प्रशिक्षु आई.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मण्डलीयक,
श्रीगंगानगर